RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

Youngster

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · DEC 2016 · PAGES 8 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

फिल्म 'वजह तुम हो' के प्रमोशन के लिए टेक्निया पहुंचे शरमन जोशी, गुरमीत चौधरी, सना खान और विशाल पंड्या

निर्देशक विशाल पंड्या की फिल्म 'वजह तुम हो' आगामी शुक्रवार 16 दिसंबर को प्रदर्शित होने जा रही है। 16 दिसंबर को प्रदर्शित होने वाली यह एकमात्र ऐसी फिल्म है, जिसका दर्शकों में कुछ क्रेज है। यह क्रेज इसके दृश्यों को लेकर है जो फिल्म में सितारों के मध्य फिल्माए गए हैं। फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में गुरुवार को इस फिल्म के सितारों के साथ फिल्म निर्देशक भी टेक्निया इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज आए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विशाल ने कहा कि मुझे इस फिल्म का आइडिया टीवी पर सास बहु के धारावाहिक देखते–देखते आया। इस फिल्म के दो बेहतरीन पार्ट है पहला फिल्म का कांसेप्ट और दूसरा फिल्म के गाने जो लोगों के मुंह पर आप सुन ही रहे होंगे। पंड्या ने बताया कि अभिनेत्री सना खान इसमें बोल्ड किरदार में दिखने वाली है। सना खान का कहना है कि इसमें वह लॉयर का किरदार निभा रही है। सना ने बातचीत में बताया की बॉलीवुड की यह पहली फिल्म है और फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई तब 10 दिन तक बहुत घबराई हुई थी। हमेशा से साउथ फिल्म में ऊंची आवाज के किरदार निभाए है लेकिन इस फिल्म में लॉयर का किरदार बहुत धीमी आवाज का है और इसके लिए मैंने बहुत प्रेक्टिस की हैं। शरमन जोशी पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे है जो बहुत गुस्से वाला किरदार है। वही गुरमीत चौधरी लॉयर का किरदार निभा रहे है। जहां वो फिल्म में होने वाले लाइव मर्डर के खिलाफ केस को लड़ते है। छात्रों ने अपने पसंदीदा एक्टरों के साथ सेल्फियां ली साथ ही साथ फिल्म के गीतों पर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्री राम कैलाश गुप्ता ने पुराने फिल्मों के कुछ गीत गुनगुना कर टेक्निया के सभागार में समां बाँध दिया साथ ही साथ फिल्म की कामयाबी के लिए वजह तुम हो की टीम को ढेरों शुभकामनाएं दी। पूरी टीम सभागार में उपस्थित उत्साहित दर्शको को देखकर काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। इस मौके पर निदेशक डॉ. अजय कुमार, श्री एम एन झा (एमआर सिस्टम, टायस) एवं सभी शिक्षकगण

–बालकृष्ण मिश्र

विश्व स्तर के विधिवेत्ता थे डा. भीमराव अंबेडकर

भारतीय समाज में सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अभिसरण जैसे समाज परिवर्तन के मुददों को उठाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता व सामाजिक समरसता के प्रेरक भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल व माता भीमाबाई धर्मप्रेमी दम्पति थे। अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। इस कारण उन्हें कदम–कदम पर असमानता और अपमान सहना पड़ता था। सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अभिसरण जैसे समाज परिवर्तन के मुददों को प्रधानता दिलाने वाले विचारवान नेता थे डॉ. अंबेडकर, जिस समय उनका जन्म हुआ तथा उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रारम्भ हुआ उस समय समाज में इतनी भयंकर असमानता थी कि जिस विद्यालय में वे पढ़ने जाते थे वहां पर अस्पृश्य बच्चों को एकदम अलग बैठाया जाता था तथा उन पर विद्यालयों के अध्यापक भी कतई ध्यान नहीं देते थे न ही उन्हें कोई सहायता दी जाती थी। उनको कक्षा के अंदर बैठने तक की अनुमति नहीं होती थी साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था क्योंकि उस समय मान्यता थी कि ऐसा करने से पानी और पात्र दोनों अपवित्र हो जाते थे। एक बार वे बैलगाड़ी में बैठ गये तो उन्हें धक्का देकर उतार दिया गया। वह संस्कृत पढ़ना चाहते थे लेकिन कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। एक बार वर्षा में वे एक घर की दीवार से लांघकर बौछार से स्वयं को बचाने लगे तो मकान मालिक ने उन्हें कीचड़ में धकेल दिया था। इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा पूरी की। गरीबी के कारण उनकी अधिकांश पढ़ाई मिटटी के तेल की ढिबरी में हुई। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करके बंबई विवि. में प्रवेश लिया जिसके बाद उनके समाज में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। 1923 में वे लंदन से बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत वापस आये और वकालत शुरू की। वे पहले ऐसे अस्पृश्य व्यक्ति बन गये जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सफलता प्राप्त की। उस समय वे भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे तथा विद्वान नेता थे। डॉ. अम्बडेकर संस्कृत भाषा के प्रबल समर्थक थे उसी साल वे बंबई विधानसभा के लिए भी निर्वाचित हुए पर छुआ छूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1924 में भीमराव ने निर्धन और निर्बलों के उत्थान हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनायी और संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में उनकी पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में 15 सीटें प्राप्त कीं। इसी वर्ष उन्होंने अपनी पुस्तक जाति का विनाश भी प्रकाशित की जो न्यूयार्क में लिखे एक शोध पर आधारित थी। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन की पुरजोर निंदा की। यह उन्हीं का प्रयास है कि आज यह शब्द पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं तथा मूकनायक नामक एक पत्र भी निकाला। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर उन्होंने सत्याग्रह और संघर्ष किया। उन्होंने पूछा कि यदि भगवान सबके हैं तो उनके मंदिर में कुछ ही लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। अछूत वर्गों के अधिकारों के लिये उन्होंने कई बार कांग्रेस तथा ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया।

1941 से 1945 के बीच उन्होंने अत्यधिक संख्या में विवादास्पद पुस्तकें लिखीं और पर्चे प्रकाशित किये। जिसमें 'थॉट आफ पाकिस्तान' भी शामिल है। डॉ. अम्बेडकर ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही अलग पाकिस्तान की मांग की कड़ी आलोचना व विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम महिला समाज में व्याप्त दमनकारी पर्दा प्रथा की भी निंदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। भीमराव को विधिमंत्री भी बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने संविधान निर्माण में महती भूमिका अदा की। 2 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नये संविधान की रचना के लिये बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य को कड़ी मेहनत व लगन के साथ उन्होंने पूरा किया और सहयोगियों से सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के प्रयासों के चलते समाज के पिछड़े व कमजोर तबकों के लिये आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। लेकिन आज के तथाकथित राजनैतिक दल इसका लाभ उठाकर अपनी राजनीति को गलत तरीके से चमकाने में लगे हैं। संविधान में छुआछूत को दण्डनीय अपराध घोषित होने के बाद भी उसकी बुराई

समाज में बहुत गहराई तक जमी हुई थी जिससे दुखी होकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का निर्णय लिया। यह जानकारी होते ही अनेक मुस्लिम और ईसाई नेता तरह–तरह के प्रलोभनों के साथ उनके पास पहुंचने लगे लेकिन उन्हें लगा कि इन लोगों के पास जाने का मतलब देशद्रोह है। अतः उन्होंने विजयदशमी (14 अक्टूबर 1956) को नागपुर में अपनी पत्नी तथा हजारों अनुयायियों के साथ भारत में जन्मे बौद्धमत को स्वीकार कर लिया। एक प्रकार से डॉ. अंबेडकर एक महान भारतीय विधिवेत्ता, बहुजन राजनैतिक नेता, बौद्ध पुनरूत्थानवादी होने के साथ–साथ भारतीय संविधन के प्रमुख वास्तुकार भी थे। उन्हें बाबा साहेब के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। बाबाजी का पूरा जीवन हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्याप्त जाति व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष में बीता। बाबासाहेब को उनके महान कार्यों के लिए भारतरत्न से भी सम्मानित किया गया। समाज में सामाजिक समरसता के लिए पूरा जीवन लगाने वाले बाबासाहेब का छह दिसम्बर 1956 को देहावसान हो गया। डॉ. अम्बेडकर को अनेकानेक विभूतियों से नवाजा गया। डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता कहे गये। उन्हें संविधान का निर्माता, शोषित, मजदूर, महिलाओं का मसीहा बताया गया। एक प्रकार से वे महान मानवाधिकारी क्रांतिकारी नेता भी थे। पिछड़ों व वंचित समाज के सबसे प्रतिभाशाली मानव थे। डॉ. अम्बडेकर भारत सशक्तीकरण के प्रतीक बने। आजाद भारत में वे भारत के प्रथम कानून मंत्री तो बने लेकिन उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से कभी पटरी नहीं बैठ पायी। वह विश्व स्तर के विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, संविधानविद, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार और आंदोलनकारी थे। अमेरिका में कोलम्बिया विवि. के 100 टाप विद्वानों में उनका नाम था।

–करूणा
बीजेएमसी

दिव्यांग भी कर सकते हैं चमत्कार, उनको प्यार दें और हौसला बढ़ाएँ

प्रतिवर्ष 3 दिसंबर का दिन दुनियाभर में दिव्यांगों की समाज में मौजूदा स्थिति, उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करने तथा सुनहरे भविष्य हेतु भावी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार–विमर्श करने के लिए जाना जाता है। दरअसल यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मुहिम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को मानसिक रुप से सबल बनाना तथा अन्य लोगों में उनके प्रति सहयोग की भावना का विकास करना है। एक दिवस के तौर पर इस आयोजन को मनाने की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1992 से हुई थी। जबकि इससे एक वर्ष पूर्व 1991 में सयुंक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर से प्रतिवर्ष इस तिथि को अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

मेडिकल कारणों से कभी–कभी व्यक्ति के विशेष अंगों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में 'विकलांग' की संज्ञा दे दी जाती है और उन्हें एक विशेष वर्ग के सदस्य के तौर पर देखा जाने लगता है। आमतौर पर हमारे देश में दिव्यांगों के प्रति दो तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। पहला, यह कि जरूर इसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिए उन्हें ऐसी सजा मिली है और दूसरा कि उनका जन्म ही कठिनाइयों को सहने के लिए हुआ है, इसलिए उन पर दया दिखानी चाहिए। हालांकि यह दोनों धारणाएं पूरी तरह बेबुनियाद और तर्कहीन हैं। बावजूद इसके, दिव्यांगों पर लोग जाने–अनजाने छींटाकशी करने से बाज नहीं आते। वे इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि क्षणिक मनोरंजन की खातिर दिव्यांगों का उपहास उड़ाने से भुक्तभोगी की मनोदशा किस हाल में होगी। तरस आता है ऐसे लोगों की मानसिकता पर, जो दर्द बांटने की बजाय बढ़ाने पर तुले होते हैं। एक निःशक्त व्यक्ति की जिंदगी काफी दुख भरी होती है। घर–परिवार वाले अगर मानसिक सहयोग न दें तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। वास्तव में लोगों के तिरस्कार की वजह से दिव्यांग स्व–केंद्रित जीवनशैली व्यतीत करने को विवश हो जाते हैं। दिव्यांगों का इस तरह बिखराव उनके मन में जीवन के प्रति अरुचिकर भावना को जन्म देता है।

देखा जाये तो भारत में दिव्यांगों की स्थिति संसार के अन्य देशों की तुलना में थोड़ी दयनीय ही कही जाएगी। दयनीय इसलिए कि एक तरफ यहां के लोगों द्वारा दिव्यांगों को प्रेरित कम हतोत्साहित अधिक किया जाता है। कुल जनसंख्या का मुट्ठी भर यह हिस्सा आज हर दृष्टि से उपेक्षा का शिकार है। देखा यह भी जाता है कि उन्हें सहयोग कम मजाक का पात्र अधिक बनाया जाता है। दूसरी तरफ विदेशों में दिव्यांगों के लिए बीमा तक की व्यवस्था है जिससे उन्हें हरसंभव मदद मिल जाती है जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हां, दिव्यांगों के हित में बने ढेरों अधिनियम संविधान की शोभा जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवहार के धरातल पर देखा जाये तो आजादी के सात दशक बाद भी समाज में दिव्यांगों की स्थिति शोचनीय ही है। जरूरी यह है कि दिव्यांगजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन के साथ उपलब्ध अवसरों तक पहुंचने की सुलभ व्यवस्था हो। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि प्रतिमाह दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन में भी राज्यवार भेदभाव होता है। मसलन, दिल्ली में यह राशि प्रतिमाह 1500 रुपये है तो झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में विकलांगजनों को महज 400 रुपये रस्म अदायगी के तौर पर दिये जाते हैं। समस्या यह भी है कि इस राशि की निकासी के लिए भी उन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ती है।

दरअसल, हमारे देश में दिव्यांगों के उत्थान के प्रति सरकारी तंत्र में अजीब–सी शिथिलता नजर आती है। हालांकि, हर स्तर से दिव्यांगों के प्रति दयाभाव जरूर प्रकट किये जाते हैं, लेकिन इससे किसी दिव्यांग का पेट तो नहीं ना भरता है! आलम यह है कि आज दिव्यांग लोगों को ताउम्र अपने परिवार पर आश्रित रहना पड़ता है। इस कारण, वह या तो परिवार के लिए बोझ बन जाता है या उनकी इच्छाएं अकारण दबा दी जाती हैं। वहीं, दूसरी तरफ दिव्यांगों के लिए क्षमतानुसार कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के होने के बावजूद जागरूकता के अभाव में दिव्यांग आबादी का एक बड़ा हिस्सा ताउम्र बेरोजगार रह जाता है। अगर उन्हें शिक्षित कर सृजनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जाता है तो वे भी राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस तरह स्वावलंबी होने से वह अपने परिवार या आश्रितों पर बोझ नहीं बनेगा और धीरे–धीरे वह उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम भी बढ़ाता नजर आएगा। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने अगले सात वर्षों में 38 लाख विकलांगों को लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय कौशल नीति पेश की है। इससे पहले भी दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना आंशिक रूप से प्रचलन में थी। जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक) प्रदान की जाती है। यह कौशल 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लिए है ताकि ऐसे व्यक्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे आ सकें। यह पहल सराहनीय है कि सरकार का सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया विकलांग सशक्तिकरण विभाग विकलांगों की राष्ट्रीय कार्य योजना और सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

आंकड़ों के लिहाज से भारत में करीब दो करोड़ लोग शरीर के किसी विशेष अंग से विकलांगता के शिकार हैं। दिव्यांगजनों को मानसिक सहयोग की जरूरत है।

परिवार, समाज के लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करें। शारीरिक व्याधियों से जूझ रहे लोगों को 'डिजेबल्ड' न कहकर 'डिफरेंटलीएबल्ड' कहना ज्यादा अच्छा होगा। अगर उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का अहसास दिलाया जाये तो उनके साधारण से कुछ खास बनने में उन्हें देर नहीं लगेगी। हमारे सामने वैज्ञानिक व खगोलविद स्टीफन हॉकिंग, भारतीय पैराओलंपियन देवेंद्र झांझरिया, धावक ऑस्कर पिस्टोरियस, मशहूर लेखिका हेलेन केलर जैसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने विकलांगता को कमजोरी नहीं समझा, बल्कि चुनौती के रूप में लिया और आज हम उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें याद करते हैं।

यदि समाज में सहयोग का वातावरण बने, लोग किसी दूसरे की शारीरिक कमजोरी का मजाक न उड़ाएं, तो आगे आने वाले दिनों में हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

समाज के इस वर्ग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाये तो वे कोयला को हीरा भी बना सकते हैं। समाज में उन्हें अपनत्व–भरा वातावरण मिले तो वे इतिहास रच देंगे और रचते आएं हैं। एक दिव्यांग की जिंदगी काफी दुखों भरी होती है। घर–परिवार वाले अगर मानसिक सहयोग न दें, तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। वैसे तो दिव्यांगों के पक्ष में हमारे देश में दर्जन भर कानून बनाए गए हैं, यहां तक कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया है, परंतु ये सभी चीजें गौण हैं, जब तक हम उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद ना करें। वे भी तो मनुष्य हैं, प्यार और सम्मान के भूखे हैं। उन्हें भी समाज में आम लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। उनके अंदर भी अपने माता–पिता, समाज व देश का नाम रोशन करने का सपना है। बस स्टॉप, सीढ़ियों पर चढ़ने–उतरने, पंक्तिबद्ध होते वक्त हमें यथासंभव उनकी सहायता करनी चाहिए। आइए, एक ऐसा स्वच्छ माहौल तैयार करें, जहां उन्हें क्षणिक भी अनुभव ना हो कि उनके अंदर शारीरिक रूप से कुछ कमी भी है। इस बार के 'विश्व विकलांग दिवस' पर मेरी यह छोटी–सी अपील है कि दिव्यांगों का मजाक न उड़ाएं, उन्हें सहयोग दें।

अंत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव को दुहराना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने निःशक्तों (विकलांगों) को 'दिव्यांग' कहने का उचित विचार दिया था। यह महज एक औपचारिकता ना रहे, इसलिए इस सुझाव को व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

–गौरव जोशी
बीजेएमसी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से कृषि क्षेत्र को जबरदस्त बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंजूरी दी जो किसानों के कल्याण के लिए लीक से हटकर एक अहम योजना है।

किसान हितैषी सरकार का नया तोहफा:–

(1) लोहिड़ी, पोंगल एवं बीहू जैसे त्यौहारों के शुभ अवसर पर किसान हितैषी सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। यह योजना खरीफ 2016 से लागू होगी।

(2) किसानों के लिए बीमा योजनाएं समय–समय पर बनती रहीं हैं, किंतु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत हो सका है।

(3) सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में बेहतर है।

(4) वर्ष 2010 से प्रभावी Modified NAIS में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा मेंएक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाती थी।

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में धान की फसल के लिए 22 प्रतिशत Actuarial Premium था। किसान को 30 हजार रुपए के Sum Insured पर कैप के कारण मात्र 900 रुपए और सरकार को 2400 रुपए प्रीमियम देना पड़ता था। किंतु शत–प्रतिशत नुकसान की दशा में भी किसान को मात्र 15 हजार रुपए की दावा राशि प्राप्त होती।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार Sum Insured पर 22 प्रतिशत Actuarial Premium आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शत–प्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। अर्थात उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए।

(5) बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है उसे दावा राशि मिल सकेगी।

(6). ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जल भराव (पानी में डूब) हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट आफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुक्सानी कितनी है। इस कारण कई बार नदी नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।

(7) पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।

(8) योजना में टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे की फसल कटाई व नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी।

–शुभम गोस्वामी
बीजेएमसी

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी बना सकते हैं कॅरियर

प्रकृति का विनाशकारी रूप कभी भी बताकर नहीं आता। अक्सर आप लोग कहीं न कहीं भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ आने या अकाल आदि की खबरें सुनते होंगे।ऐसे समय में जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, वे होते हैं आपदा प्रबंधक। ये लोग आपदा में फंसे लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के साथ आवश्यक मानवीय सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं। अगर आपके मन में मानव सेवा का जज्बा है तो आप आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अवसर तलाश कर सकते हैं।

क्या होता है कामः आपदा प्रबंधक का मुख्य काम प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले जान–माल के नुकसान को न्यूनतम करना होता है। साथ ही वे आपदा के शिकार लोगों की न सिर्फ जान बचाते हैं, बल्कि राहत कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि समस्त आवश्यक सहायक साधन और सुविधाएं सही समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध हों। वैसे आपदा प्रबंधक का कार्य देखने में जितना आसान लगता है, वह वास्तव में उतना ही कठिन होता है। आपदा प्रबंधक का कार्य बेहद जोखिम भरा होता है। कभी–कभी तो उन्हें अनजान खतरों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपनी जान का जोखिम भी लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, अक्सर दूसरों की जान बचाने के चक्कर उनकी खुद की जान भी चली जाती है। इसलिए यह क्षेत्र केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान को महत्व देते हैं।

स्किल्सः एक बेहतर आपदा प्रबंधक बनने के लिए आपके मन में जनसेवा का भाव होना बेहद आवश्यक है। साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से बेहद स्ट्रांग भी होना चाहिए ताकि आप अत्यधिक दबाव व तनावपूर्ण स्थितियों में बिना आपा खोए अपना कार्य सही ढंग से कर सके। आपका कार्य करने का उत्साह व दूसरों की मदद करने का जज्बा कभी भी फीका नहीं पड़ना चाहिए।

योग्यताः इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे छात्रों का 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। इसके बाद आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा से लेकर मास्टर्स डिग्री तक कर सकते हैं। वैसे इस क्षेत्र में शॉर्ट टर्म कोर्सेस से लेकर डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी उपलब्ध हैं।

कोर्सः सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एमए इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट।

संभावनाएंः कोर्स करने के पश्चात् आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर सकते हैं। देश के विभिन्न सरकारी विभाग जैसे फायर डिपार्टमेंट या सूखा प्रबंधन क्षेत्र में हमेशा ही प्रोफेशनल्स की डिमांड बनी रहती है। चूंकि प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की डिमांड विदेशों में भी होती हैं। आप चाहें तो वहां के एनजीओ, यूएनओ, राहत एजेंसियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस या यूनेस्को आदि के साथ जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टीचिंग और रिसर्च क्षेत्र में भी कॅरियर की संभावनाएं तलाश कर सकते हैं।

आमदनीः इस क्षेत्र में आमदनी से अधिक आत्मिक शांति ज्यादा महत्व रखती है। जहां तक सवाल आमदनी का है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। फिर भी शुरूआती तौर पर आप दस हजार से लेकर बीस हजार आसानी से कमा सकते हैं। वहीं थोड़े अनुभव के पश्चात् आपका पद व आमदनी भी बढ़ जाती है।

प्रमुख संस्थानः नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली।, दिल्ली इंस्टीटयूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, नई दिल्ली।, इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली।, गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली।, राष्टीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, महाराष्ट्र।, इंस्टीटयूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफटी, पंजाब।, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीटयूट, मध्यप्रदेश।

–प्रियंका सिंह
बीजेएमसी

WORKSHOP ON AWARENESS OF J-GATE E-RESOURCES-2016

A One-day Workshop on 'Awareness of J-Gate E-Resources-2016' was recently organized by Tecnia Institute of Advanced Studies, (Affiliated by GGSIP University, Delhi).The main objective of this workshop to provide practical knowledge of J-gate E-Resources and awareness about electronic journals. The opening remarks by Anil Jharotia, Librarian of TIAS. He said that Electronics resources are sources, which provide on time information in electronics format, the information is available at any time as per need of users. Electronics resources are enabled by technical capability to create, search, and use enormous amount of information. Electronics Resources are e-book, e-journals, e-magazine, e-newspaper etc.

Mr. Jaipal Singh Sisodia was the Resource Person who is the Manager-Training and Business Development in Informatics Publishing Limited, he provided practical training to students, Library staff and Faculty members. Dr. Rajesh Bajaj, Mr. M.N Jha, Suhail Ahtesham, Dr. Jitender Rai, Dr. Vishal Khatri, Dr Sandeep Kumar etc. faculty members and Students had benefit of workshop. During the workshop, Mr. Ishwar Singh and students asked the questions regarding e-resources.

The vote of Thanks was proposed by Anil Kumar Jharotia and Dr. Ajay Kumar, Director of TIAS has given valuable suggestions regarding use of electronic resources in institute among users and he awarded to resource Person, Mr. Jaipal Singh Sisodia by Momento of TIAS.

Anil K Jharotia, Librarian

हिंदी का स्वाभिमान बचाने का समाचार-पत्रों का शुभ संकल्प

समाचार माध्यमों में अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हिंदी के लिए सुखद अवसर है कि मध्य प्रदेश के हिंदी के समाचार–पत्रों ने हिंदी के स्वाभिमान की सुध ली है। कथित सरल हिंदी और बोलचाल की भाषा के नाम पर हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी शब्दों की अवैध घुसपैठ को रोकने का पवित्र संकल्प प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों– स्वदेश, नई दुनिया, दैनिक नई दुनिया, नवभारत, हरिभूमि, पीपुल्स समाचार, राजएक्सप्रेस, दबंग दुनिया, राष्ट्रीय हिन्दी मेल, अग्निबाण, न्यूज एक्सप्रेस – जबलपुर एक्सप्रेस समूह एवं उनकी न्यूज एजेन्सी ईएमएस और समय जगत ने लिया है। हिंदी का स्वाभिमान बचाने के इस आंदोलन का सूत्रधार स्वदेश समाचार पत्र बना है। स्वदेश के पवित्र संकल्प और आग्रह को स्वीकार कर इस आंदोलन में एक के बाद एक सभी प्रमुख समाचार पत्र आ रहे हैं। यह चिंता केवल स्वदेश की नहीं है, बल्कि अपनी भाषा को बचाने का कर्तव्य सबका है। अब यह संकल्प प्रत्येक समाचार पत्र को स्वयं ही आगे ले जाना होगा। स्वदेश मात्र उत्प्रेरक की भूमिका में है। इस शुभ संकल्प का बीजारोपण 6 नवम्बर को भोपाल के रवीन्द्र भवन में स्वदेश के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हुआ। 'हिन्दी समाचार माध्यमों में भाषा की चुनौती' विषय राष्ट्रीय विमर्श में विद्वानों ने हिंदी को विद्रूप करने के षड्यंत्र और उसके खतरों की ओर जब स्पष्ट संकेत किया तब मध्य प्रदेश के उक्त समाचार पत्रों ने हिंदी की अस्मिता के लिए उठकर खड़ा होने का यह संकल्प लिया। हिंदी समाचार पत्रों का यह संकल्प ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। बड़े पत्रकारिता संस्थान, जो लगभग कारोबारी समूहों में बदल चुके हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व के इस आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी पहचान से जुड़ा मुद्दा भी है। यह सर्वविधित है कि हिंदी के समाचार माध्यमों में अंग्रेजी शब्दों का बढ़ता प्रयोग भारतीय मानस के लिए चिंता का विषय बन गया है। विशेषकर, हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के शब्दों का चलन अधिक गंभीर समस्या है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी समाचार पत्रों की भाषा से नवयुवक अपनी भाषा सुधारते थे। समाचार पत्र सूचना और अध्ययन सामग्री देने के साथ–साथ समाज को भाषा का संस्कार भी देते थे। कोई शब्द शुद्ध है या अशुद्ध, जब यह प्रश्न खड़ा होता था, तब समाचार पत्रों के पन्नों में देखा जाता था कि वह कैसे लिखा गया है? आज स्थिति यह नहीं है। सामान्य व्यक्ति के अंतर्मन में यह बात गहरे बैठ गई है कि समाचार पत्र शुद्ध भाषा उपयोग नहीं कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भाषा का घालमेल है। पाठकों की इस धारणा को 'विश्वसनीयता का संकट' मानकर समाचार माध्यमों को गंभीरता से चिंतन–मंथन करने की आवश्यकता है। हमें यह आत्ममुग्धता छोडनी होगी कि हम पाठकों की सुविधा के लिए आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं। अखबार को पठनीय बनाते हैं। सरल भाषा में खबर लिखते हैं ताकि सामान्य जन को समझ आ सके। भले ही हम न मानें, लेकिन सच यह है कि सामान्य जन अपेक्षा कर रहा है कि हम सम्यक भाषा का उपयोग करें। हिंदी में खबर लिखें, 'हिंग्लिश' में नहीं। आज हम कोई भी हिंदी का समाचार पत्र उठाकर देखें, शीर्षक से लेकर खबर की अंतिम पंक्ति तक अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ पाते हैं। हालांकि इसे अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ कहना ठीक नहीं, यह शब्द अपने आप नहीं आए, हमने इन्हें माथे पर बिठाया है। दरअसल, हम औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं। हम यह मान बैठे हैं कि यह देश अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से समझता है, अपनी मातृभाषा को ठीक से नहीं पहचानता है। कुछ समाचार पत्रों के मालिकों की यह दलील एक बार मान भी लें कि भारत की संतति अपनी हिंदी को ठीक से नहीं चीन्ह पा रही है। अब यहाँ सवाल है कि उसे हिंदी के विराट स्वरूप से परिचित कराने का दायित्व किसका है? आज अखबारों का जिस तरह का चरित्र हो गया है, उससे तो भारत का सामान्य आदमी अपनी भाषा भूलेगा ही? इसलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र जब यह शुभ संकल्प ले रहे हैं कि वे अंग्रेजी के शब्दों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तब सकारात्मक बदलाव की एक आहट सुनाई देती है। अंग्रेजी के महिमामंडन और अपनी अनदेखी से दु:खी होकर एक कोने में खुद को समेटकर बैठी हिंदी थोड़ा मुस्काई है। उसे भरोसा है कि उसके हिंदी पुत्र अब उसका मान बढ़ाएंगे। औपनिवेशिक मानसिकता की बाढ़ में बहकर आई अंग्रेजी शब्दों के अपशिष्ट को उसके आँचल से हटाएंगे। उम्मीद है कि प्रदेश के ये समाचार पत्र अपने संकल्प पर अडिग रहेंगे। उक्त सभी समाचार पत्रों ने यदि ईमानदारी से अपने संकल्प को

निभाने का प्रयास किया, तब निश्चिय ही सकारात्मक बदलाव संभव है और उनका यह प्रयास पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदी जगत में भी आदरभाव के साथ इस संकल्प का सदैव स्मरण किया जाएगा। इस सबके बावजूद हिंदी समाचार पत्रों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपनी आत्मभाषा के संवाहक बनें। 'स्वदेश' की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसके प्रधान संपादक राजेन्द्र शर्मा कहते हैं– 'स्वदेश ने राष्ट्रभाषा की रक्षा में एक पहल करने की कोशिश की है, जिसे सब ओर से उत्साहित समर्थन प्राप्त हो रहा है। बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि उसके संकल्प को हिंदी पत्रकारिता ने अपना संकल्प बना लिया है। इस पहल की फलश्रुति यह है कि अब हिंदी की अस्मिता पर हो रहे वीभत्स आक्रमण का सामना करने की चुनौती हिन्दी के समाचार–पत्रों और अन्य माध्यमों ने स्वयं स्वीकार करने का निर्णय किया है। हिंदी और देश की चिंता बढ़ाने की वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए भोपाल के प्रमुख समाचार पत्रों ने जो प्रतिबद्धता प्रकट की, वह आनंदित करने वाली है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के पहले 'स्वदेश' की ओर से भोपाल से प्रकाशित होने वाले कुछ समाचार पत्र समूहों के संचालकों और संपादकों से चर्चा कर उनसे निवेदन किया गया था कि, अब समय आ गया है कि जब हिंदी के समाचार–पत्र ही अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हों और साफ–सुथरी और जन सामान्य के लिए बोधगम्य हिंदी को बचाने और बनाए रखने की मुहिम में जुट जाएं। हिन्दी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के शब्दों

का अविवेकपूर्ण और फूहड़ ढंग से होने वाला उपयोग, हिंदी के कथित बड़े समाचार पत्रों की ऐसी शर्मनाक दुर्गति कर रहा है कि उन्हें हिंदी का समाचार पत्र कहना या मानना भी अनुचित प्रतीत होता है। कुछ समाचार पत्र तो इस काम को पूरी तरह सोच विचार कर एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ अंजाम दे रहे हैं, किन्तु अधिकांश केवल देखा–देखी में ही बिना विचारे ही इसके शिकार हो रहे हैं। 'स्वदेश' ने उन सबको टटोला तो सबके मन में पीड़ा थी, वे स्थिति को बदलने को आतुर थे– इसलिये जब उनके सामने यह विचार रखा कि वे अपने समाचार–पत्र की वाणिज्यिक रणनीति 'हिंदी' के आधार पर बनाएं और ऐसी साफ–सुथरी हिन्दी लेकर पाठकों के पास जाएं कि उनका समाचार पत्र बच्चों को सही हिंदी का ज्ञान देगा, उनकी भाषा बिगाड़ेगा नहीं। उनके बच्चों और हिंदी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। श्री शर्मा ने बताया– 'हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अपने प्रारंभिक दौर में हमने जिनसे भी संपर्क किया, उनमें से किसी ने भी असहमति प्रकट नहीं की। इस पवित्र संकल्प के लिए इन सबका अभिनंदन और अभिवादन। परन्तु यह संख्या यहीं रुकने वाली नहीं है, हर हिंदी समाचार पत्र इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करने के लिये तत्पर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सबसे अनुरोध करेंगे।' 'हिन्दी समाचार माध्यमों में भाषा की चुनौती' विषय पर राष्ट्रीय विमर्श में केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, वरिष्ठ साहित्यकार एवं अक्षरा के संपादक कैलाशचंद्र पंत (भोपाल), वरिष्ठ पत्रकार प्रभु जोशी (इंदौर), अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति मोहनलाल छीपा (भोपाल), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी (नईदिल्ली), संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव (भोपाल), मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एकता समिति के उपाध्यक्ष रमेश शर्मा (भोपाल) और देवपुत्र पत्रिका के प्रधान संपादक कृष्ण कुमार अष्ठाना ने अपने उद्‌बोधन में हिंदी की वर्तमान दशा की ओर संकेत करने के साथ–साथ उसे बाजारवाद के षड्यंत्र से बाहर निकालने का मार्ग भी प्रशस्त किया। यदि सबके मंतव्य को सामूहिक रूप से व्यक्त करना हो, तब कवि दुष्यंत के भाव और शब्द उधार लेने होंगे। सब विद्वानों का मत था– 'हो गई है पीर पर्वत–सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।' प्रदेश के हिंदी समाचार पत्रों का यह शुभ संकल्प ऐसा ही भगीरथी प्रयास है, जिससे गंगा का प्रवाह संभव है। समाचार माध्यमों में हिंदी का स्वरूप बिगाड़ने के लिए राष्ट्रीयएकता समिति के उपाध्यक्ष रमेश शर्मा ने मार्क्स के पुत्रों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिन दिनों दुनिया में मार्क्स का बोलबाला था, तब भी स्वयं मार्क्स का मानना था कि भारत की समाज रचनाऐसी है कि यहां वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं है, यहां अगर कभी संघर्ष होगा तो जाति और भाषाई आधार पर होगा। मार्क्स वादियों ने 1942 में अंग्रेजों का साथ दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनापूर्वक समाचारपत्रों में आ गए। वे जानते हैं कि समाचारपत्र केवल संवाद प्रक्षेपण का ही साधन नहीं है, बल्कि जनमत भी बनाते हैं। इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से भारतीय भाषाओं पर हमला करना शुरू किया। इनका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर हमला करना है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिन तत्कालीन समाचार पत्रों का रहा था, आज वे सब बंद हो चुके हैं। लेकिन आजादी के पूर्व जितने भी अंग्रेजों के समर्थक समाचार पत्र थे, वे आज भी चल रहे हैं तथा स्वतंत्र भारत में अंग्रेजियत लाने की मुहिम जारी रखे हुए हैं। वहीं, इंदिरा गांधी कला केन्द्र सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने अपने वक्तव्य में हिंदी के अनन्य सेवक माधवराव सप्रे द्वारा 1906 से 1908 के बीच लिखे गए लेखों को पढ़ने की सलाह श्रोताओं को दी। उन्होंने कहा कि उस समय भाषा को लेकर सप्रेजी की चिंता भी वैसी ही थी, जैसी आज हम सबकी है। जोशी ने कहा कि संचार माध्यमों से हमारी अपेक्षा तो ठीक है, किन्तु समाज में भी अच्छी भाषा का वातावरण बनाना चाहिए। समाज ही परिवर्तन ला सकता है। आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से स्लेग लेंग्वेज एवं शॉर्ट कट भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है। यह समाज की भाषा बन गई, फिर क्या होगा? समाज की भाषा में सुधार लाए बिना मीडिया की भाषा में सुधार संभव नहीं है। आज हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते प्रचलन के लिए संस्कृति विभाग के सचिव एवं साहित्यकार मनोज श्रीवास्तव ने अमेरिका के प्रभाव को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि

THIS MONTH

December 14, 1861: In Britain, Prince Albert died of typhoid at Windsor Castle. He was the consort and husband of Queen Victoria of England. Following his death, the Queen went into an extended period of mourning.

•••

December 18, 1865: The 13th Amendment to the U.S. Constitution was ratified abolishing slavery, stating, "Neither slavery nor involuntary servitude, save as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction."

•••

December 6, 1865: The 13th Amendment to the U.S. Constitution was ratified, abolishing slavery.

•••

December 25, 1868: President Andrew Johnson granted general amnesty to all those involved in the Civil War.

•••

December 12, 1870: Joseph Hayne Rainey of Georgetown, South Carolina, became the first African American to serve in the U.S. House of Representatives. He filled a seat which had been declared vacant by the House and served until 1879.

•••

December 5, 1876: President Ulysses S. Grant delivered a speech of apology to Congress claiming mistakes he made as president were "errors of judgment, not intent."

•••

Compilation: Honey Shah

BASICS OF MEDIA

Computer-manipulated DVE: Digital video effects created by a computer using an existing image (camera-generated video sequence, video frame, photo, or painting) and enhancing or changing it in some way.

•••

Defocus: Simple yet highly effective optical effect wherein the camera operator zooms in, racks out of focus, and, on cue, back into focus again. Used as a transitional device or to indicate strong psychological disturbances or physiological imbalance.

•••

Diffusion Filter: Filter that attaches to the front of the lens; gives a scene a soft, slightly out-of-focus look.

•••

Gobo: In television, a scenic foreground piece through which the camera can shoot, thus integrating the decorative foreground with the background action. In film a gobo is an opaque shield used for partially blocking a light, or the metal cutout that projects a pattern on a fl at surface.

•••

Matte Key: Keyed (electronically cut in) title whose letters are filled with shades of gray or a specific color.

•••

Compilation: Rahul Mittal

आज हिन्दी में अंग्रेजी का बढ़ता प्रचलन गुलामी के कारण नहीं, बल्कि अमरीकी प्रभाव के कारण है। आर्थिक पूंजीवाद ने भाषाई परिवर्तन किए हैं। अब खिचड़ी भाषा भी नहीं, बल्कि चटनी भाषा बन रही है। वहीं, हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति मोहनलाल छीपा ने समाज से आग्रह किया कि भाषाई गड़बड़ी करने वाले समाचार पत्रों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। यकीनन यह एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। समाज की आड़ लेकर हिंदी में अनावश्यक अंग्रेजी के शब्दों को ठूंसने वाले समाचार पत्रों को आईना दिखाने का काम समाज ही बखूबी कर सकता है। समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह अखबारों को बताए कि उसे किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की सामग्री चाहिए। हिंदी में हो रहे घालमेल पर यदि पाठक अंगुली उठाने लगेगा, तब प्रत्येक समाचार पत्र अपनी भाषा ठीक करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यदि डॉ. जोशी और श्री छीपा के आग्रह को समाज स्वीकार कर ले तब उक्त समाचार पत्रों को बड़ा सहयोग मिलेगा, जिन्होंने हिंदी को बचाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय विमर्श में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार प्रभु जोशी ने विचारोत्तेजक उद्‌बोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि हम हिन्दी बोलने वालों ने ही हिन्दी की हत्या की सुपारी ली हुई है। अंग्रेजी का व्यवसाय अब इंग्लैंड नहीं, बल्कि अमेरिका और डब्लूटीओ कर रहा है। जब कोई गुलाम बनने को आतुर हो, तो फिर युद्ध पोतों की क्या आवश्यकता? उन्होंने ध्यान दिलाया कि परिवर्तन सत्ता केंद्रित होते हैं। कांग्रेस शासन ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी को सरल बनाने के लिए उसमें अंग्रेजी शब्द शामिल किए जाएं। उस सर्कुलर के कारण हिंग्लिश का प्रचलन बढ़ा। उन्होंने कहा कि आज ऐसी स्थिति बन गई है कि भाषा की शुद्धता की नहीं, बल्कि भाषा को बचाने की बात प्राथमिक है। क्या आप जानते हैं कि बीसवीं सदी में सारी अफ्रीकी भाषाएं नष्ट कर दी गईं। हमारे यहां भी भाषा का व्याकरण खत्म कर उसे लूली लंगडी बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। भाषा पर अंतिम हमलाएफडीआई ने किया है, उसकी शर्त है, हिंदी को रोमन बनाना। इसलिए जिन अखबारों नेएफडीआई लिया है, वे हिन्दी की बात सुनेंगे ही नहीं। यह सांस्कृतिक आदान–प्रदान का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अपहरण का युग है। राष्ट्रीय विमर्श में हिंदी जगत के प्रमुख हस्ताक्षर कैलाशचंद्र पंत ने कहा कि इस समय स्पष्टतः दो धाराएं चल रही हैं, एक है जिसे राष्ट्रवादी कहा जाता है, किन्तु मैं उसे सांस्कृतिक धारा कहता हूं और दूसरी है आयातित गौरांग महाप्रभु धारा, जो गोरी चमड़ी के प्रति आसक्त होती है। आजादी के पूर्व इस धारा के प्रतिनिधि राजा राममोहन राय ने तो एक बार कहा भी था कि अंग्रेजों का आना भारत के हित में है। किन्तु इसके विपरीत उस समय सांस्कृतिक पहचान की दूसरी धारा भी प्रवाहित होती रही। बंगाल के केशव चन्द्र सेन ने गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती से आग्रह किया कि वे अपने प्रवचन संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दें। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाई और प्रश्न किया– कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, अथवा नहीं? और हो तो कौन–सी हो? सर्वसम्मत स्वर आया कि राष्ट्रभाषा अनिवार्य और वह केवल हिंदी ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि हिंदी के लिए समर्पित पत्रकारों महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और गणेश शंकर विद्यार्थी का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सबके सामने राष्ट्र की सही तस्वीर थी। आज कुछ समाचार पत्रों द्वारा तो हिंदी से बलात्कार किया जा रहा है। सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयत्न होता रहा है। बहरहाल, यहाँ यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि हिंदी के समाचार पत्रों के सम्मुख न केवल हिंदी के स्वाभिमान का प्रश्न है, बल्कि समूचे देश की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रश्न खड़ा है। मध्य प्रदेश के हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी भाषा को बचाने और उसे समृद्ध करने का जो संकल्प लिया है, उसके साथ अन्य अस्मिताओं के प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इस संकल्प को सभी संस्थानों को अपने समाचार पत्रों के पन्नों पर उतारना होगा। कहते हैं कि शुभ संकल्पों को पूरा करने में प्रकृति भी सहायक सिद्ध होती है। इसलिए भरोसा किया जा सकता है कि हिंदी के स्वाभिमान के इस यज्ञ में सभी समाचार पत्रों की पवित्र आहुतियाँ भाषाई और सांस्कृतिक वातावरण को स्वच्छ करेंगी।

लोकेन्द्र सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय.

–बालकृष्ण मिश्र

Vol. 12 **No.** 12
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Rahul Mittal, responsible for selection of News under PRB Act. All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"Wise men make proverbs, but fools repeat them."

Samuel Palmer

•••

"It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity."

Albert Einstein

•••

"The secret of success is to know something nobody else knows."

Aristotle Onassis

•••

"When you have to kill a man, it costs nothing to be polite."

Sir Winston Churchill

•••

"Any man who is under 30, and is not a liberal, has no heart; and any man who is over 30, and is not a conservative, has no brains."

Sir Winston Churchill

•••

Compilation: Bhavna Madan Vij

WINNERS v/s LOOSERS Part-65

Winners say," I must do something"; Losers say,"Something must be done."

•••

Winners are a part of the team; Losers are apart from the team.

•••

Winners see the gain; Losers see the pain.

•••

Winners see possibilities; Losers see problems.

•••

Winners believe in win/win; Losers believe for them to win someone has to lose.

•••

Winners see the potential; Losers see the past.

•••

Winners are like a thermostat; Losers are like thermometers.

•••

Winners choose what they say; Losers say what they choose.

•••

To Be Continued In Next Issue-

Compilation: Rahul Mittal

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **hodbjmc@tecnia.in**